दस रुपये TEN RUPEES — कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10

पाँच रुपये FIVE RUPEES — कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.5

(66)

# न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र.      /2014 निगरानी

R 1335-III/14

1. सोभा उर्फ सोमा पत्नी दलीपा जाटव
2. प्रभा पत्नी बल्लू जाटव निवासीगण ग्राम इमलिया तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

––– आवेदकगण

बनाम

1. नरेश पुत्र दिबिया जाटव निवासी ग्राम इमलिया तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

––– अनावेदक

श्री ............ द्वारा आज दि. 24.4.14 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. पिछोर जिला शिवपुरी के प्र.क्र. 110/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।**

24.4.14

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**

1. यह कि, संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम इमलिया तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र. 726 रकबा 0.60 हें. के संबंध में नायव तहसीलदार खनियाधाना के संबंध में पटटा दिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क्रं. 01 व 02/97–98/अ–19 पर दर्ज किया जाकर विधिवत प्रकाशन किया गया आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि में कोई आपत्ती आहुत नही है। ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त कर विधिवत नियमो का पालन करते हुये आवेदकगण के हित में आदेश दिनांक 03.02.1998 से भूमि बटंन के आदेश पारित किये गये।
2. यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर बल पूर्वक कब्जा कर निर्माण कार्य करने लगा इस संबंध में आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय खनियाधाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण कार्य कर प्रारभं कर दिया गया है। इस कारण अवैध निर्माण कार्य को रोका जाना एवं अवैध कब्जें के संबध में संहिता की धारा 250 के अधीन कब्जा वापिस दिलाये जाने के संबंध में कार्यवाही संचालित की गई जिसका प्रकरण 175/2012–13/बी–121 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 29.06.2013 से अनावेदकगण के विरूद्ध एक–एक हजार रूपया के बंधंक पत्र

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1335-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 2/04/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों।<br>सदस्य<br>**आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर** | |